क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	17/12/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/1/25 को पेश हो।
	16/1/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/1/25 को पेश हो।
	30/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रति-सं. 2 व 3 बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना अनुपस्थित। प्रति. सं. 1 के वकील अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 लगा 3 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादी को बहस सुनी गई। बार बार [illegible] किया जाता है। विद्युत निगम के पक्ष से [illegible] सुनाया गया। पत्रावली [illegible] से [illegible] बाद वकील वादी [illegible] सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फ

संख्या /वर्ष

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 144/2019
निर्णय दिनांक : 30.01.2025

उनवान

1. लल्लूलाल पुत्र घासीलाल जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नागल तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. गिर्राज उर्फ गिरीराज पुत्र घासी जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नागल तहसील सांगानेर जिला जयपुर
3. सीताराम पुत्र घासी जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नागल तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र भौरीलाल जाति बांगडा ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. छीतर पुत्र श्रीया जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नागल तहसील सांगानेर जिला जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सीमाज्ञान एव पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 30.01.2025

वादीया की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादी सख्या एक की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 270 रकबा 0. 14 है०, ख0न0 271 रकबा 0.31 है०, ख०न० 272 रकबा 0.16 है०, ख०न० 273 रकबा 0.07 है०, ख०न० 274 रकबा 0.04 है०, ख०न० 286 रकबा 0. 06 है०, ख0न0 287 रकबा 0.13 है०, ख0न0 424 रकबा 0.31 है०, ख०न० 722 रकबा 0.14 है०, ख0न0 724 रकबा 0.18 है०, ख०न० 725 रकबा 0. 50 है० कुल किता 11 कुल रकबा 2.04 है० व वादी सख्या दो व तीन की आराजी कृषि भूमि ख0न0 407 रकबा 0.07 है०, ख0न0 408 रकबा 0. 08 है०, ख0न0 510 रकबा 0.22 है०, ख0न0 711 रकबा 0.34 है०, ख०न० 791/371 रकबा 0.09 है०, ख०न० 93 रकबा 0.10 है०, ख०न० 94 रकबा 0.11 है० कुल किता 7 कुल रकबा 1.01 है० स्थित वाके ग्राम आशावाला पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है। वादी सख्या 1 की कृषि भूमि खसरा न. 722 रकबा 0.14 है0 के पास ही प्रतिवादी सख्या एक की कृषि भूमि खसरा न० 721 रकबा 0. 26 है० भूमि स्थित है। तथा वादी सख्या दो व तीन की भूमि खसरा न० 711 रकबा 0.34 है० भूमि के पास प्रतिवादी सख्या दो की कृषि भूमि खसरा न० 705 रकबा 0.57 है० भूमि स्थित है। वादीगण व प्रतिवादी सख्या एक व दो की भूमि के मध्य अर्सेदराज से मेड बनी हुयी थी जिसको प्रतिवादीगण जबरन मेड को तोडकर वादीगण की भूमि को अपनी भूमि में शामिल करते हुये अवैध रूप से बाउण्ड्रीवॉल का निमार्ण करना चाहता

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जबकि उसको ऐसा करने का कोई कानूनन अधिकार नही है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 22/10/19 वादीगण की भूमि खसरा न० 722 व 711 की भूमि की मेड तोडकर जबरन खसरा 721 व 705 मे मलित करते हुये नींव खोदने लगे। जिस पर वादीगण ने उनको मना किया और कहा की पहले सीमाज्ञान रवाले उसके बाद निमार्ण करवा लेना। तथा उक्त डोल अर्सेदराज से लगी हुयी है इसको आप नही तोड कते तो प्रतिवादी सख्या एक व दो तथा उनके साथ आये 10–15 बदमाश किश्म के व्यक्तियो ने वादीगण साथ गाली गलौच की तथा मारपीट करने पर उतारू हो गये, तथा 15–20 कारीगर लगाकर निर्माण र्य करना चाहा तो वादी ने पुलिस थाना सांगानेर सदर में रिपोर्ट दी जिस समय तो प्रतिवादीगण वहा चले गये परन्तु जाते जाते धमकी दी की हम उक्त भूमि पर निमार्ण कार्य करके रहेगे। इस कारण दीगण को यह वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा व सीमाज्ञान व पत्थरगढी पेश करना लाजमी हुआ। वादीगण पनी भूमि की सुरक्षा करने का कानूनन अधिकार रखते है अगर प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर गैर जनूनी रूप से काबिज हो जाता है तो वादीगण अपने हक हकुको की भूमि से महरूम हो जायेगे। साथ ो वादीगण की उक्त आराजीयात मे प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नही रखता हैं। वादीगण तिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध करवाने के अधिकारी है कि वाद पत्र के पैरा न० एक मे वर्णित ूमि के खसरा न० 722 व 711 की भूमि को अपने खसरा न0 721 व 705 भूमि मे समल्लित करते हुये ादी की असेंदराज से लगी मेड को तोडकर किसी प्रकार का कोई निर्माण तब तक नही करे जब तक उक्त खसरा नम्बरान का नियमानुसार सीमाज्ञान नही हो जाता है। ऐसा न स्वयं करे न किसी एजेन्ट सर्वेन्ट, ठेकेदार इत्यादि से करवाये। तथा वादीगण के शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। वाद कारण दिनांक 20/10/19 को तब शुरू हुआ जब प्रतिवादी सख्या एक व दो व उनके साथ आये लोगो ने वादीगण की आराजी कृषि भूमि की डोल तोडने की कौशिश करने तथा वादीगण के साथ गांली गलौच व मारपीट करने पर उतारू होने से शुरू होकर निरन्तर जारी है।

अंतः वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे कि प्रतिवादी सख्या एक व दो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जावे कि कि वाद पत्र के पैरा न० एक मे वर्णित भूमि के खसरा न० 722 व 711 की भूमि को अपने खसरा न० 721 व 705 भूमि मे समल्लित करते हुये वादी की असेंदराज से लगी मेड को तोडकर किसी प्रकार का कोई निर्माण तब तक नहीं करे जब तक उक्त खसरा नम्बरान का नियमानुसार सीमाज्ञान नही हो जाता है। ऐसा न स्वयं करे न किसी एजेन्ट सर्वेन्ट, ठेकेदार इत्यादि से करवाये। तथा वादीगण के शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। वाद खर्च वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के विरूद्ध 30.01.2025 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

पत्रावली में बहस वादीगण अधिवक्ता की सुनी गई। वादिया अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वाके ग्राम आशावाला पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित विवादित आराजीयात में प्रतिवादी सख्या एक व दो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जावे कि कि वाद पत्र के पैरा न० एक मे वर्णित भूमि के खसरा न० 722 व 711 की भूमि को अपने खसरा न० 721 व 705 भूमि मे समल्लित करते हुये वादी

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ंदराज से लगी मेड को तोडकर किसी प्रकार का कोई निर्माण तब तक नहीं करे जब तक उक्त नम्बरान का नियमानुसार सीमाज्ञान नही हो जाता है। ऐसा न स्वयं करे न किसी एजेन्ट सर्वेन्ट, इत्यादि से करवाये। तथा वादीगण के शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न रे।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपांत अवलोकन करने व वादी अधिवक्ता की बहस पर करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे हे कि वाके ग्राम आशावाला पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भूलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित वादी सख्या एक की आराजी भूमि खसरा न0 270 रकबा 0. 14 है०, ख0न0 271 रकबा 0.31 है०, ख०न० 272 रकबा 0.16 है०, 273 रकबा 0.07 है०, ख०न० 274 रकबा 0.04 है०, ख०न० 286 रकबा 0. 06 है०, ख0न0 287 0.13 है०, ख0न0 424 रकबा 0.31 है०, ख०न० 722 रकबा 0.14 है०, ख0न0 724 रकबा 0.18 है०, 725 रकबा 0. 50 है० कुल किता 11 कुल रकबा 2.04 है० व वादी सख्या दो व तीन की आराजी भूमि ख0न0 407 रकबा 0.07 है०, ख0न0 408 रकबा 0. 08 है०, ख0न0 510 रकबा 0.22 है०, ख0न0 कबा 0.34 है०, ख०न० 791/371 रकबा 0.09 है०, ख०न० 93 रकबा 0.10 है०, ख०न० 94 रकबा 0. ० कुल किता 7 कुल रकबा 1.01 है० के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी सख्या 1 की कृषि खसरा न. 722 रकबा 0.14 है0 के पास ही प्रतिवादी सख्या एक की कृषि भूमि खसरा न० 721 रकबा है० भूमि स्थित है। तथा वादी सख्या दो व तीन की भूमि खसरा न० 711 रकबा 0.34 है० भूमि के प्रतिवादी सख्या दो की कृषि भूमि खसरा न० 705 रकबा 0.57 है० भूमि स्थित है। प्रतिवादीगण को ण के कब्जेकाश्त में दखल देने का कोई अधिकार नही है। वादीगण सर्वप्रथम पैमाईश/सीमाज्ञान हसीलदार सांगानेर के समक्ष आवेदन पेश करे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंध जाना उचित समझते है ।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम आशावाला पटवार ल्का श्रीराम की नांगल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित वादित आराजीयात भूमि का सीमाज्ञान का आवेदन प्रस्तूत कर सीमाज्ञान करवाने तक प्रतिवादीगण ो जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वो आराजी खसरा न० 722 व 711 की भूमि को तिवादीगण अपने खसरा न० 721 व 705 भूमि मे समल्लित करते हुये वादी की असेंदराज से लगी मेड ो तोडकर किसी प्रकार का कोई निर्माण तब तक नहीं करे। वादीगण सर्वप्रथम पैमाईश/सीमाज्ञान हेतु हसीलदार सांगानेर के समक्ष आवेदन पेश करे। निर्णय के मुताबिक डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर